रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012020-215768
CG-DL-E-29012020-215768

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2020/माघ 7, 1941
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2020/MAGHA 7, 1941

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

का.नि.आ. 01(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 23 के साथ पठित धारा 346 की अपेक्षानुसार छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों के भत्तों का भुगतान) नियम, 2011 में संशोधन करने हेतु कतिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का. नि.आ. सं. 15(अ) तारीख 31 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को इस आशय के साथ उपलब्ध करवा दी गई थी कि इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्ति राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिन के भीतर इस संबंध में अपने आपेक्ष और सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 31 जुलाई, 2018 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 23 के साथ पठित धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों के भत्तों का भुगतान) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी [उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों को भत्तों का भुगतान (संशोधन)] नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों के भत्तों का भुगतान) नियम, 2011 के नियम 3 में –

   (i) उप नियम (1) 'सारणी' के स्थान पर, नीचे निम्नलिखित 'सारणी' रखी जाएगी, अर्थात:-

https://www.staffnews.in

"सारणी

क्र. सं.	छावनी प्रवर्ग	उपाध्यक्ष को संदेय मानदेय (प्रति मास)	निर्वाचित सदस्यों को संदेय मानदेय (प्रति मास)	उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को संदेय वाहन भत्ता (प्रति मास)	उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को संदेय टेलीफोन भत्ता (प्रति मास)
1	2	3	4	5	6
1.	प्रवर्ग 1	रु10., -/000 (दस हजार रुपए के)	रु.8,000/- (आठ हजार रुपए केवल)	रु. 1,250/- (एक हजार दो सौ पचास रुपए केवल)	रु.320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)
1.	प्रवर्ग 2	रु.8,000/- (आठ हजार रुपए केवल)	रु6., -/000 (छह हजार रुपए केवल)	रु.1,000/- (एक हजार रुपए केवल)	रु.320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)
1.	प्रवर्ग 3	रु.6,000/- (छह हजार रुपए केवल)	रु.4,000/- (चार हजार रुपए केवल)	रु.750/- (सात सौ पचास रुपए केवल)	रु-/320. (बीस रुपए केवल तीन सौ)
1.	प्रवर्ग 4	रु.4,000/- (चार हजार रुपए केवल)	रु2., -/000 (दो हजार रुपए केवल)	रु -/500. (पाँच सौ केवल)	रु.320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)"

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित की गई सारणी के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(1क) इन नियमों में उपबंधित मानदेय और भत्तों की प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी।"

पाद टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना सं. का. नि.आ. 6(अ) तारीख 18 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में तारीख 01 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 14(6)/2009-डी (क्यू एवं सी)]

नाज़ली जे शाईन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

S.R.O. 01(E).—Whereas a draft containing certain rules to amend the Cantonments (Payment of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, vide number S.R.O. 15(E), dated the 31st July, 2018, as required by Section 346 read with section 23 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 31st day of July, 2018;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

https://www.staffnews.in

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 346 read with section 23 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cantonments (Payment of Allowances to Vice President & Elected Members) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cantonments [Payment of Allowances to Vice - President and Elected Members (Amendment)] Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cantonment (Payment of Allowances to Vice – President and Elected Members) Rules, 2011, in rule 3, -

(i) in sub-rule (1), for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

"TABLE

S.No.	Category of Cantonment	Honorarium Payable (per mensum) to Vice – President	Honorarium Payable (per mensum) to Elected Members	Conveyance allowance payable to Vice – President and each Member (per mensum)	Telephone allowance payable to Vice – President and each Member (per mensum)
1	2	3	4	5	6
1	Category 1	₹10,000/- (Rupees Ten thousand only)	₹8,000 (Rupees Eight thousand only)	₹1,250/- (Rupees One thousand two hundred fifty only)	₹ 320/- (Rupees Three hundred and twenty only)
2	Category 2	₹8,000/- (Rupees Eight thousand only)	₹6,000 (Rupees Six thousand only)	₹1,000/- (Rupees One thousand only)	₹320/- (Rupees Three hundred and twenty only)
3	Category 3	₹6,000/- (Rupees Six thousand only)	₹4,000 (Rupees Four thousand only)	₹750/- (Rupees Seven hundred fifty only)	₹320/- (Rupees Three hundred and twenty only)
4	Category 4	₹4,000/- (Rupees Four thousand only)	₹2,000 (Rupees Two thousand only)	₹500/- (Rupees Five hundred only)	₹320/- (Rupees Three hundred and twenty only)."

(ii) after the TABLE so substituted, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The honorarium and allowances provided in these rules shall be reviewed once in every five years."

Foot note:- The principal rules were published vide notification number S.R.O. 6 (E), dated 1st August, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, dated 1st August, 2011.

[F. No. 14(6)/2009-D(Q&C)]

NAZLI J. SHAYIN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

https://www.staffnews.in